

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक 2612 /स्था/प्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक

21-7-16


-:: कार्यालय आदेश ::-

बोर्ड के आदेश क्रमांक 1402 दिनांक 24/6/2014 द्वारा कार्यालयीन रिकार्ड कीपिंग के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार 20 वर्ष पुराने रिकार्ड के विनिष्ठीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं ।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंथन 2014 की कण्डिका क्रमांक 5.12 एवं 5.26 में की गई अनुशंसा के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा पत्र क्रमांक एफ-11-19/2016/1/9 दिनांक 19/5/2016 जारी किये गये हैं ।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय प्रयोगशाला एवं मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी महत्वपूर्ण अभिलेखों के संधारण का शैड्यूल बनाकर अनुपयोगी एवं महत्वहीन रिकार्ड को चिन्हित कर उसके डिजिटাইजेशन की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है ।

निर्देशों के अनुपालन में समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयोगशाला प्रभारी, एवं मुख्यालय के शाखा प्रभारी आवश्यक कार्यवाही कर एक माह में डिजिटাইज किये जाने एवं नष्ट किये जाने वाले रिकार्ड की सूची प्रशासकीय अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

  
( ए. ए. मिश्रा )  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2612 /स्था/प्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक 21-7-16

प्रतिलिपि :-

- 1 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- 2 प्रशासन प्रभारी, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- 3 समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय, समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, समस्त प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4 आर्डर बुक, आईटी शाखा/व्यक्तिगत नस्ति ।